न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या– 35 / 2011–12

श्री एस0सी0 माथुर

बनाम

श्री खड़क सिंह आदि

श्री अरूण सक्सेना, एडवोकेट – अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) – अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार।

निर्णय

आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या– 33/2010–11 एस0सी0 माथुर बनाम खड़क सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–08–2012 के विरूद्व यह द्वितीय अपील योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एस0सी0 माथुर की ओर से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में विवादित भूमि मौजा कोटड़ा सन्तौर, परगना पछवादून पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु धारा–229बी जमींदारी विनाश अधिनियम का वाद योजित किया गया जो वाद संख्या–16/07–08 एस0सी0 माथुर बनाम खड़क सिंह आदि दर्ज हुआ। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा कब्जे की पुष्टि न होने का उल्लेख करते हुए निर्णयादेश 31–01–11 से वाद निरस्त किया गया। इस निर्णयादेश के पुनर्विचार हेतु अपीलार्थी की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र 11–02–2011 प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 05–03–2011 से निरस्त किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 31–01–2011 एवं आदेश दिनांक 05–03–2011 के विरूद्व अपीलार्थी की ओर से आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णयादेश दिनांक 03–08–2012 से निरस्त हुई। आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश से क्षुब्ध होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय अपील में प्रतिपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किये गये जो अदम तामीली में वापस प्राप्त हुए। अपीलार्थी की ओर से प्रतिपक्षीगण पर समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस प्रकाशन कराया गया। प्रतिपक्षी संख्या–2 की ओर से एक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया, परन्तु उनकी ओर से बहस की तिथि को कोई उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप प्रतिपक्षी संख्या–1 से 7 पर न्यायालय आदेश दिनांक 02–04–2013 से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि द्वितीय अपील आयुक्त के आदेश दिनांक 03–08–2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। खड़क सिंह ने अपीलार्थी के स्थान पर गुलशन कुमार के नाम विक्रय पत्र सम्पादित कर दिया और गुलशन कुमार ने किसी तृतीय पक्ष को भूमि बेच दी। अपीलार्थी ने दिनांक 06–08–2010 को सहायक कलेक्टर के न्यायालय में सूची सहित अभिलेख प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है। प्रतिपक्षी श्रीमती पुष्पा आदि ने विचारण न्यायालय में अपने बयानों में यह माना है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है। विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या–1 से 3 से विवादित भूमि का सौदा अपीलार्थी के साथ किया था तथा दिनांक 21–04–97 को विवादित भूमि का पंजीकृत मुख्तारनामा दे दिया था। प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 से 3 ने दिनांक 25–04–97 को शेष कीमत भी प्राप्त कर ली थी। अपीलार्थी ने दिनांक 25–04–97 को विवादित भूमि का कब्जा ले लिया था। प्रतिपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया। विक्रय पत्र निष्पादित न किये जाने के बावजूद अपीलार्थी ने विवादित भूमि का कब्जा कभी नहीं छोड़ा है। दिनांक 02–11–2007 को खतौनी की प्रति प्राप्त करने पर पता चला कि प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 से 3 का नाम कटकर प्रतिउत्तरदाता संख्या–4 से 6 गुलशन कुमार, संदीप कुमार व ठाकुर सिंगला के नाम खतौनी में अंकित हैं। वर्तमान अभिलेखों में श्रीमती सीमा बंसल का नाम 3850 है0 भूमि पर अंकित है। प्रतिउत्तरदाता संख्या–4 से 7 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं वह मात्र दिखावटी हैं क्योंकि स्थल पर विवादित भूमि वादी के अध्यासन में हैं। सूचना प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि कुल विवादित भूमि तहसीलदार, विकासनगर द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–1428 वर्ष 2003 में पारित आदेश दिनांक 01–08–2003 से श्री गुलशन कुमार के नाम दर्ज की गई है, परन्तु उक्त विवरण की पत्रावली न तो तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में प्राप्त हुई और न ही राजस्व अभिलेखागार, देहरादून में। प्रतिपक्षी गुलशन कुमार के पक्ष में

क्रमशः–

निष्पादित तथाकथित विकय पत्र भी सब–रजिस्ट्रार, विकासनगर के कार्यालय में नहीं मिल सका, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी गुलशन कुमार के नाम का इन्द्राज फर्जी है। प्रतिउत्तरदाता खड़क सिंह ने एक अन्य विकय पत्र दिनांक 13–05–2005 निष्पादित कर विवादित भूमि खसरा नम्बर–1ख रकबा 0.5100 है0 का 1/3 भाग प्रतिउत्तरदाता 5 व 6 को विकय कर दिया जिसके आधार पर आदेश दिनांक 09–09–2005 से उनका नाम विवादित भूमि पर अंकित हुआ। जब विकय पत्र दिनांक 22–03–99 के आधार पर सम्पूर्ण विवादित भूमि पर प्रतिउत्तरदाता संख्या–4 गुलशन कुमार का नाम खड़क सिंह आदि का नाम निरस्त करते हुए अंकित हो गया और खड़क सिंह ने प्रतिउत्तरदाता संख्या–4 की प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी तो खड़क सिंह को वर्ष 2005 में पुनः प्रतिउत्तरदाता संख्या–5 व 6 संदीप कुमार व ठाकुर सिंगला के पक्ष में विकय करने का कोई अधिकार शेष नहीं था। सम्पूर्ण विवादित भूमि दिनांक 25–04–97 से अपीलार्थी के अध्यासन में है और इस पन्द्रह वर्ष के अध्यासन के विरूद्व प्रतिपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व बेदखली के सम्बन्ध में कोई वाद योजित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है। अपीलार्थी का जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–164 के अनुसार हस्तान्तरण मय कब्जा सिद्व है। प्रतिपक्षीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत अंकित है जो निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा आर0डी0 1969 पृष्ठ–126 की नजीर भी प्रस्तुत की गई।

प्रतिपक्षी सरकार/ग्रामसभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर अपना प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं किया है। प्रतिकूल कब्जा इच्छा के विरूद्व होना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि का इकरारनामा करके कब्जा ले लिया गया, जबकि प्रतिकूल कब्जा किस तिथि से है साबित होना चाहिए। सहमति के आधार पर प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी का प्रतिकूल कब्जा सिद्व नहीं हुआ है। अपील निरस्त होने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) द्वारा ए0आई0आर0 1993 पृष्ठ–19, आर0डी0 1997(88) पृष्ठ–531, राजस्व निर्णय संग्रह 2000 पृष्ठ 202, आर0डी0 1996(87) पृष्ठ–421, आर0डी0 1996(87) पृष्ठ 257, आर0डी0 1996(87) पृष्ठ 355, आर0डी0 1996(87) पृष्ठ–364 एवं राजस्व लॉ टाइम्स 1999 पृष्ठ 736 की नजीरें भी प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा–229बी के घोषणात्मक वाद में दिनांक 02–06–2010 को 07 वाद बिन्दु वाद के निस्तारण हेतु सृजित किए गए। इन वाद बिन्दुओं की पृथक–पृथक विवेचना किए बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा मात्र यह अवधारित किया गया कि वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादी का विवादित भूमि पर कब्जा है। विचारण न्यायालय के निर्णयादेश में यह भी उल्लेख है कि श्रीमती पुष्पा देवी के बयान दर्ज किए गए जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया कि विवादित सम्पत्ति किसके नाम है उन्हें ज्ञात नहीं है। उनके द्वारा अपने बयानों में यह भी कथन किया गया कि वे विवादित सम्पत्ति पर कभी नहीं गई। विवादित सम्पत्ति के बावत निष्पादित इकरारनामे पर उनके हस्ताक्षरों को उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा गवाह भी प्रस्तुत किये गये। वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह सतीश कुमार द्वारा भी अपने बयानों में यह दर्ज किया गया कि विवादित भूमि पर खेती नहीं हो रही है और अपीलार्थी/वादी का विवादित भूमि के बावत कोई विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की उपस्थित हेतु नोटिस प्रकाशन कराया गया था, परन्तु प्रतिवादी संख्या–2 श्रीमती पुष्पा देवी एवं प्रतिवादी संख्या–3 रामचन्द्र के अतिरिक्त कोई अन्य पक्ष विचारण न्यायालय में प्रतिवाद हेतु उपस्थित नहीं हुआ। राज्य सरकार की ओर से भी 24–12–2010 को तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में विवादित भूमि पर ग्रामसभा व राज्य सरकार का हित निहित न होने का उल्लेख किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा घोषणात्मक वाद में सृजित वाद बिन्दुओं पर पृथक–पृथक कोई विवेचना नहीं की गई। मात्र यह निर्णयादेश पारित किया गया कि वादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे विवादित भूमि पर उनकी कब्जे की पुष्टि होती हो। विचारण न्यायालय को सृजित वाद बिन्दुओं की पृथक–पृथक विवेचना कर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया हैं। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी मात्र विचारण न्यायालय के निर्णयादेश को आधार मानकर ही निर्णयादेश दिनांक 03–08–2012 पारित किया गया है। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया

कमशः–3

गया कि विचारण न्यायालय द्वारा सृजित वाद बिन्दुओं पर कोई विवेचना नहीं की गई है और सरसरी तौर पर निर्णयादेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश व डिक्री दिनांक 31–01–2011 तथा आदेश दिनांक 05–03–2011 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2012 निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः वाद बिन्दुओं की पृथक–पृथक विवेचना हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने योग्य है।

आदेश

आंशिक रूप से बलयुक्त होने के कारण द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश व डिक्री दिनांक 31–01–2011 तथा आदेश दिनांक 05–03–2011 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2012 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में पक्षकारों को पर्याप्त साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस हों तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।

आज दिनांक 29.4.2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।